वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत राज्य स्कीम के तहत समग्र भैंस पालन योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका

मार्ग निर्देशिका

1. **योजना का नाम :** समग्र भैंस पालन योजना

2. **योजना का उद्देश्य :** इस योजना का मख्ु य उद्देश्य राज्य में भैंस के सम्वर्द्धन हेतु राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्व–रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास के मुख्यधारा में शामिल करना है ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान हो सके एवं राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

   इस योजना के अन्तर्गत भैंस के 01 एवं 02 भैंस (मुर्राह, भदावरी एवं जाफराबादी) की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

3. **कार्यक्षेत्र :** राज्य के सभी जिले में।

4. **पात्रता :** राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को शामिल किया जायेगा।

5. **योजना का क्रियान्वयन :** योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।

6. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस योजना में आवेदन पत्र गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट dairy.bihar.gov.in पर भरे जायेंगे।

7. इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायगी, जिसके सदस्य निम्न होंगे :

   - जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी–सदस्य सचिव
   - उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य

8. स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण आवेदन को स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्त्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।

9. लाभूकों द्वारा स्वीकृत डेयरी इकाई अन्तर्गत भैंस का क्रय अधिकृत पशु आपूर्त्तिकर्त्ता/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी सर्विस द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये भैंस में से गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। पशुपालक राज्य के बाहर से भी पशु का क्रय कर सकते हैं।

10. दुधारू मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। क्रय समिति में संबंधित बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि, जिला गव्य विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

11. योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतगर्त निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी अनुदान का भुगतान परियोजना शर्त्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा। लाभूकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में अनुदान का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही अनुदान का वितरण Back ended होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

12. लाभूकों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् मवेशी क्रय (Asset creation) के बाद निर्धारित नियम के अनुसार सब्सिडी की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्र आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को अन्य कागजात के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण–पत्र अंकित करते हुए अनुदान विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

13. इस योजना के तहत आवेदकों का चयन में (i) विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों (ii) दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों एवं (iii) जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

14. इस योजना के आवेदकों की उम्र 18–55 वर्ष के बीच मे होना चाहिए।

15. इस योजना के तहत निर्धारित अनुदान लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करें। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी यथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के समय लाभूक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटाग्राफी किया जायेगा। दुधारू मवेशी के क्रय के समय मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।

16. स्वलागत में दुधारू पशु का क्रय एक ही बार अथवा फेजबार (दो बार) करने के लिए लाभुक स्वयं स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभूकों को स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तबार (दो बार)।

17. लाभूकों द्वारा योजना का संवर्द्धन कम से कम तीन वर्षों तक करना होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उपलब्ध करायी गयी विभागीय अनुदान की राशि एक मुश्त वापस करने की कार्रवाई की जायेगी।

18. डेयरी इकाई की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के उपरान्त न तो डेयरी इकाई स्थापित की जायेगी और न ही लाभूकों/बैंक द्वारा अनुदान का दावा मान्य होगा। बैंक से प्राप्त दावा विपत्र के आलोक में लाभूकों को अनुदान का लाभ पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय
बिहार, पटना